**(वाद संख्या–5215/17)**

25.10.2019

परिवादी, राम बसंत राम, सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, उपस्थित हैं।

उनकी ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को दिनांक–11.04.2017 को बिल्डर, ब्रजेश कुमार व अन्य लोगों के द्वारा अपराध किये जाने की लिखित सूचना देने के बावजूद दीघा थाना द्वारा कांड नहीं दर्ज करने के संबंध में दिये गये आवेदन की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में परिवादी राम बसंत राम ने आयोग को सूचित किया कि उनका बिल्डर, ब्रजेश कुमार के साथ सुलह हो गया है तथा अब वे प्रस्तुत परिवाद पर अग्रत्तर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उनकी ओर से अनुरोध किया गया कि प्रसंगाधीन मामले को बंद कर दिया जाय, क्योंकि उभय पक्ष के बीच सुलह हो गया है।

परिवादी के उपरोक्त अनुरोध के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**

सहायक निबंधक